राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति - 2020

डॉ. शक्ति जैन
प्राध्यापक, अर्थशास्त्र
शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय, सागर (म.प्र.)

सारांश -

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 भारत देश में 34 साल पुरानी शिक्षा नीति जो बदलते परिदृश्य के साथ प्रभावहीन हो रही थी, उसमें परिवर्तन है? इस नीति को 29 जुलाई 2020 को केन्द्रित मंत्रीमण्डल ने मंजूरी दे दी है। इसे शीघ्र ही प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। इस नीति का लक्ष्य भारत देश को "वैश्विक ज्ञान महाशक्ति" बनाना है। इस नीति में स्कूली शिक्षा व उच्च शिक्षा में बदलाव किया गया है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यवसाय शिक्षा पर जोर दिया गया है तथा साथ ही बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है।

मुख्य शब्द - राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा, व्यवसायपरक शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा।

किसी भी देश के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा एक अनिवार्य घटक है, इसके साथ ही मानव के सर्वांगीण विकास का मूल घटक भी शिक्षा ही है। राष्ट्र एवं मानव के विकास का शिक्षा से गहरा सम्बन्ध है स्वामी विवेकानंद ने कहा है, "शिक्षा एक राष्ट्र की प्रगति का प्रतीक है।" कोई भी देश उसी अनुपात में विकास करता है, जिस अनुपात में वहां की जनता में शिक्षा और बुद्धि का विकास होता है। प्रशिक्षण, सम्बर्द्धन और पथ प्रदर्शन ही शिक्षा है।

भारत की शिक्षा प्रणाली में कई विसंगति थी एवं एक लम्बे समय से शिक्षा नीति में बदलाव की आवश्यकता दिखाई दे रही थी। भारत में पहली शिक्षा नीति इंदिरा गाँधी द्वारा 1968 में शुरू की गई थी। इसके बाद अगली शिक्षा नीति राजीव गाँधी की सरकार ने 1986 में बनाई एवं नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 1992 में कुछ संशोधन किया गया, तब से कोई भी बड़ा बदलाव शिक्षा नीति में नहीं आया था। अतः 2014 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र में नई शिक्षा नीति को लागू करने का वादा किया गया था। वर्तमान में भारत में 34 साल पुरानी शिक्षा नीति बदलते परिदृश्य के साथ प्रभावहीन हो रही थी। अतः 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया।

29 जुलाई 2020 को केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंजूरी दे दी है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल और IB (Information and broadcasting) मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी। इस तरह एच.आर.डी. मंत्री रमेश पोखरियाल निशांक ने कहा कि मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत अपने वैभव को प्राप्त करेगा। **NEP-2020** को गुणवत्ता पहुँच, जवाबदेही, सामर्थ्य और समानता के आधार पर एक समूह प्रक्रिया के अन्तर्गत बनाया गया है। जहाँ विद्यार्थियों के कौशल विकास पर ध्यान दिया गया है, वही पाठ्यक्रम को लचीला बनाया गया है, ताकि वे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा का सफलतापूर्वक

मुकाबला कर सके। उन्होंने आगे कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से जहाँ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए इस शिक्षा नीति में सार्थक कदम उठाए है। नई शिक्षा नीति 2020 को समान, समावेशी और जीवंत बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को ज्ञान आधारित महाशक्ति बनाने के लिए कृतसंकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से हम भारत को गुणवत्तापरक, नवाचार युक्त, प्रौद्योगिकीयुक्त और भारत केन्द्रित शिक्षा दे पाने में सफल होंगे।

इस नीति का लक्ष्य भारत को "वैश्विक ज्ञान महाशक्ति" बनाना है। नई शिक्षा नीति में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें शीर्ष विदेशी विश्व विद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापति करने की अनुमति देना छात्राओं को व्यवसाय शिक्षा प्राप्त करना और संस्थाओं की दिशा में एक बड़ा कदम शामिल है। यह नीति देश में स्कूल और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 शिक्षा के सभी स्तरों प्री-स्कूल से लेकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों (एसईडीजी) को एक समान सहभागिता सुनिश्चत करने पर जोर देती है। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों की व्याख्या करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन्हें अनेक श्रेणियों में बाँटा गया है (पैरा 6.2) इन श्रेणियों को लिंग (महिला व ट्रांस जेण्डर व्यक्ति), सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान (अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग), भौगोलिक पहचान (जैसे-गाँव, कस्बे आदि का विद्यार्थी) विशेष आवश्यकता (जैसे सीखने की क्षमता सहित) सामाजिक, आर्थिक परिस्थिति (जैसे-प्रवासी समुदाय निम्न आय वाले परिवार, असहाय परिस्थिति में रहने वाले बच्चे, अनाथ बच्चे जिनमें शहरों में भीख माँगने वाले व शहरी गरीब भी शामिल है) आदि के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

नई शिक्षा नीति की मुख्य बाते हैं -

- इस नीति में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का **6% GER** भाग खर्च किया जाएगा जो कि वर्तमान में **4.43%** है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।
- पांचवी कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी।
- छठवी कक्षा में वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक छात्रों को छठवीं कक्षा के बाद ही इंटर्नशिप कराई जाएगी।
- नई शिक्षा नीति का 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% के साथ पूर्ण विकास से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य है।
- नई शिक्षा नीति स्कूली वच्चों में से करोड़ को मुख्यधारा में वापस लाएगा।
- वर्ष 2020 तक उच्च शिक्षा में (GER) सकल नामांकन अनुपात 50% तक पहुँचाने का लक्ष्य है जो कि वर्ष 2018 में 26.3% था।
- 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थान (HEI) का उद्देश्य बहुविषयक संस्थान बनना होगा, जिसमें से प्रत्येक का लक्ष्य 3000 था, अधिक छात्र होंगे।

ISSN 2395-031X

- लॉ और मेडीकल शिक्षा को छोड़कर समस्त शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग (HECI) का गठन किया जाएगा अर्थात् उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलरेटर रहेगा। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी।
- म्यूजिक और आर्ट्स को पाठ्यक्रम में शामिल कर बढ़ावा दिया जाएगा।
- ई-पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षक टेक्नॉलाजी फोरम (NETF) बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित का प्रावधान रखा है।
- नई शिक्षा नीति -2020 का सबसे महत्वूर्ण बिन्दु है, मल्टीपल एन्ट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होगा, अभी यदि कोई छात्र बीच में पाठ्यक्रम छोड़ता था या किसी कारण में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं कर पाता था तो उसको कोई भी डिग्री हासिल नहीं होती थी, लेकिन अब मल्टीपल एन्ट्री व एग्जिट सिस्टम में एक साल के बाद पढाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट, दो साल के बाद डिप्लोमा और तीन या चार साल के बाद पढ़ाई छोड़ने के KCN डिग्री मिल जाएगी, इससे देश में ड्रॉप आउट रेशियो कम होगा।
- एक यह भी प्रावधान है कि यदि कोई छात्र किसी कोर्स को बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में एडमीशन लेना चाहे, तो पहले कोर्स से एक निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है और उसे पूरा करने के बाद पहला कोर्स जारी रख सकता है।
- नई शिक्षा नीति में अभी सेंट्रल यूनीवर्सिटी, डीम्ड यूनीवर्सिटी और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट के लिए अलग-अलग नियम है लेकिन नई शिक्षा नीति में सभी के लिए समान नियम हैं।
- नई शिक्षा नीति में शोध और अनुसंधान के भी बढ़ावा दिया गया है। इसके लिए अमेरिका में **NSF** (नेशनल साइंस फाउंडेशन) के तर्ज पर एक शीर्ष निकाय की स्थापना की जाएगी। **NSF** की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना है, यह स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा शासित होगा और बड़े प्रोजेक्टों की फाइनेंसिंग करेगा।
- नई शिक्षा नीति 2020 का एक महत्वपूर्ण बिन्दु बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाना जिसके लिए जेण्डर समावेशी कोष की स्थापना एक नया और क्रांतिकारी कदम है। (पैरा 6.8 **NEP-2020**) यह सकारात्मक संकेत है कि राष्ट्रीय शिक्षा के नीतिगत प्रावधान महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रतिवद्ध है। शिक्षा नीति की प्रस्तावना में ही भारत की विदुषी नारियों गार्गी और मैत्रेयी का उल्लेख प्राचीन काल से ही शिक्षा के क्षेत्र में नारियों की सशक्त उपस्थिति को दर्शाता ही है, साथ ही भविष्य में उनकी बढ़ती हुई सहभागिता की ओर संकेत करता है।

सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ा जो समूह है उसमें आधी संख्या महिलाओं की है, इसलिए इस शिक्षा नीति में जो भी योजनाएं व नीतियाँ व योजनाएँ प्रस्तावित की गई हैं, उनमें विशेष रूप से महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा के मार्ग में आने वाली समस्याओं पर भी इस शिक्षा नीति में विचार किया गया है और उनको दूर करने के अनेक उपाय भी किए है, जैसे - सर्वप्रथम बालिकाओं की शिक्षा बढ़ाने के लिए जेण्डर समावेशी फंड की स्थापना की गई है, यह कोष राज्यों को उपलब्ध कराया जायेगा

तथा इस कोष से ऐसी नीतियाँ, योजनाएँ व कार्यक्रमों को लागू करने में सहायता मिलेगी, जिससे महिलाओं को विद्यालय परिसर में अधिक सुरक्षापूर्ण और स्वस्थ वातावरण मिल सके, जैसे परिसर में महिलाओं के लिए शौचालय स्थापित करना, उन्हें स्वच्छता और सेनिटेशन से संबंधित अन्य प्रावधान प्रदान करना, स्कूल आने-जाने के लिए साईकिल देना, फीस न भर पाने की स्थिति में अभिभावकों को सशर्त नगद राशि हस्तांतरण करना ताकि गरीबी के कारण उन्हें अतिरिक्त उच्चतर शिक्षार संस्थाओं में प्रवेश में लिंग संतुलन को बढ़ावा दिया जाए। अनेक साधनों, माध्यमों से संकाय सदस्यों, परामर्शदाताओं, विद्यार्थियों आदि सभी को जेण्डर के प्रति संवेदनशील बनाया जाए, परिसर में भेदभाव और उत्पीड़न के लिए बने हुए नियमों को सख्ती से लागू किया जाना। ये सभी व्यवस्थाएँ उच्चतर शिक्षा संस्थानों में महिला विद्यार्थियों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करेंगी। इसके अतिरिक्त इस शिक्षा नीति में एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक की भी स्थापना करता है अर्थात जो मल्टीपल एन्ट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया जा रहा है, उसका लाभ सभी विद्यार्थियों को मिलेगा, लेकिन बालिकाओं व महिलाओं को इसका सर्वाधिक लाभ होगा, क्योंकि विवाह पारिवारिक आदि कारणों से उनकी पढ़ाई अधिक बार छूटती है। अतः मल्टीपल एन्ट्री व एग्जिट सिस्टम का लाभ उनकी पढ़ाई को आगे बढ़ाएगा। उच्च शिक्षा में आगमन व निकास के अनेक विकल्प भी महिलाओं के पास होगे जिससे वह विभिन्न स्तरों पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री के अनेक विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे। अनेक व्यक्तिगत व पारिवारिक कारण जो उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को कम कर देते थे, उनको दूर करने में नई शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित अधिक छात्रवृत्तियाँ, महिला छात्रावासों के विस्तार, जेण्डर समावेशी फण्ड, क्रेडिट ट्रान्सफर, अधिक सुरक्षित स्कूल व विद्यालय परिसर आदि बिन्दु बालिकाओं और महिलाओं की एक बड़ी संख्या में विद्यालय तक लाने व पढ़ाई बीच में न छोड़ने में कामयाब होंगे। इस प्रकार बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने हेतु नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। शिक्षा के सभी स्तरों में लिंग संतुलन, सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित समूहों की महिलाओं की गुणवत्तापरक शिक्षा, शिक्षण परिसर में महिलाओं की सुरक्षा आदि के प्रति यह शिक्षा नीति जागरूक और संवेदनशील है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्याय 6 में इन नीतिगत प्रावधानों के अतिरिक्त जो प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा में वदलाव के प्रावधानों का वर्णन किया गया है तथा अध्याय 14 में उच्च शिक्षा में बदलाव से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है।

स्कूली शिक्षा में बदलाव :

1. 03 से 06 साल के वच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एवं एजुकेशन
2. एनसीईआरटी द्वारा फाउंडेशन लिट्रेसी एवं न्यूमेरेंसी पर नेशनल मिशन शुरू
3. 9वीं 12वीं की पढ़ाई की रूपरेखा 5+3+3+4 के आधार पर
4. बच्चों के लिए कौशल : कोडिंग कोर्स शुरू
5. एक्सट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज - मेन कैरिकुलम में शामिल
6. वोकेशनल पर जोर - कक्षा 6 से पढाई
7. नई नेशलन क्यूरिकलम फ्रेमवर्क तैयार - बोर्ड एक्जाम दो भाग में

8. रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स शामिल
9. वर्ष 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित

उच्च शिक्षा में बदलाव -

1. उच्च शिक्षा में मल्टीपल एन्ट्री और एग्जिट का विकल्प
2. पाँच वर्ष का कोर्स वाले एमफिल में छूट
3. कॉलेजों के एक्रेडिटेशन के आधार पर ऑटोनॉमी
4. मेंटरिंग के लिए राष्ट्रीय मिशन
5. हॉयर एजुकेशन के लिए एक ही रेग्यूलेटर
6. लीगल एवं मेडीकल एजूकेशन शामिल न हो
7. सरकारी और प्राइवेट शिक्षा मानक समान
8. नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (NRF) की स्थापना
9. शिक्षा में तकनीकी बढ़ावा
10. दिव्यांगजनों में शिक्षा के लिए बदलाव
11. 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई-कोर्सेस शुरू

नई शिक्षा नीति-2020 के बहुत विस्तृत आयाम है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ज्ञान व कौशल को प्रमुख स्थान दे रही है। इस नीति में शिक्षा के सभी स्तर प्राथमिक शिक्षा से लेकन उच्च शिक्षा तक बदलाव लाया गया है, जो कि वर्तमान समय की आवश्यकता थी, क्योंकि 34 साल पुरानी शिक्षा नीति बदलते परिदृश्य के साथ प्रभावहीन हो रही थी यह नीति निश्चित ही देश की स्कूल और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार का मार्ग प्रशस्त करेगी और भारत देश का नाम भी उच्च शिक्षण संस्थानों के शीर्ष में शामिल होगा। अब आवश्यकता है शीघ्र ही यह नीति लागू हो और हम सभी भारतवासियों को इसका समुचित लाभ मिले और भारत वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन सके।

संदर्भ :

1. https:// hindi.news/new nation-education policy-2020002187.html
2. https://www.jagranjosh.com.education policy2020in hindi-1596083908-2
3. News-paper.danikbhaskar

❖ ❖ ❖